11/रुम० (विविध)-12/15-137(11).
दिनांक 15/02/2016.

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– "मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना" के अन्तर्गत देय राशि के संशोधन एवं भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में

कालाजार रोग से ग्रसित रोगियों के अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में भर्त्ती अवधि के दौरान उनके तथा उनके सहचर के पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने हेतु आशा कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु संकल्प संख्या–223(11), दिनांक–16.04.2013 "मुख्यमंत्री राहत कोष" से "मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना" की स्वीकृति दिनांक–16.04.2013 से प्रदान की गयी है। जिसके प्रावधान अनुसार कालाजार रोग से ग्रसित रोगियों के अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में भर्त्ती अवधि के लिए उनके तथा उनके सहचर के पारिश्रमिक की क्षतिपूर्त्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत् प्रति मरीज रू0 150/– प्रतिदिन तथा अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाले एक अभिभावक/सहचर को रू0 150/– प्रतिदिन यानि रू0 300/– प्रति दिन भर्त्ती अवधि के लिए सरकार के तरफ से देय है तथा आशा कार्यकर्त्ताओं को कालाजार रोगियों को अस्पताल में लाने की दशा में प्रोत्साहन स्वरूप रू0 50/–(पच्चास रूपये मात्र) प्रति मरीज की राशि दी जाती है।

2. वर्त्तमान में कालाजार के मरीजों का ईलाज single dose Ambisome से चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जिला अस्पताल एवं चुने गए कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत् कालाजार के मरीजों की अस्पताल में भर्त्ती अवधि मात्र एक या दो दिनों के लिए होती है, जिसके चलते मरीज एवं उसके सहचर को केवल एक या दो दिनों की क्षतिपूर्ति राशि देय होती है। चूँकि बीमारी के कारण मरीज काफी कमजोर हो जाता है एवं ईलाज के पूर्व या पश्चात् रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) में करीब 1 माह का समय लग जाता है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि **अब कालाजार रोग से ग्रसित सभी मरीजों (बाह्य अथवा अर्न्तवासी) को** एक माह के पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति दी जाय।

3. **उपरोक्त पृष्ठभूमि में योजना के स्वरूप में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :–**

(क) इस योजना के अन्तर्गत अब कालाजार रोग से ग्रसित **सभी मरीजों (बाह्य अथवा अर्न्तवासी) जिनका इलाज अस्पताल में उपलब्ध किसी भी प्रकार की दवा से किया गया हो** को पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति के रूप में 200/–(दो सौ रूपये मात्र) प्रतिदिन की दर से 30 दिनों के लिए (200×30=6000/–) तथा मरीज के एक सहचर के 2 दिन के पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति हेतु (200×2=400/–) रू0 एवं यात्रा व्यय के मद में मरीज को 100 रू0 एवं उसके एक सहचर को 100 रू0 कुल 200 रू0 का भुगतान किया जाएगा।

(ख) आशा कार्यकर्ताओं को कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने की दशा में प्रोत्साहन स्वरूप प्रति मरीज 100/–रू0 (एक सौ रूपये) की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उपरोक्तानुसार दी गई राशि भारत सरकार द्वारा इस मद में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी।

(घ) पूर्व से गठित योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में होने वाली विलंब को देखते हुए निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :–

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) स्तर पर भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ii) जिला अस्पताल (DH) स्तर पर भुगतान उपाधीक्षक/प्रभारी उपाधीक्षक, जिला अस्पताल द्वारा किया जाएगा।

(iii) चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा मनोनीत उपाधीक्षक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(iv) कालाजार पीड़ित अपना आवेदन इन अस्पतालों में ईलाज कराने वक्त देंगे एवं संबंधित अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का दायित्व होगा कि इनके डिस्चार्ज होते समय इनको (a/c Payee) चेक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करें।

(v) सिविल सर्जन उनको आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराऐंगे।

(vi) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक प्रत्येक पक्ष अपना अद्यतन व्यय प्रतिवेदन जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) सिविल सर्जन की अधियाचना/व्यय प्रतिवेदन के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति राशि विमुक्त करेगी।

4. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
5. इस संबंध में मूल संकल्प संख्या–223(11), दिनांक–16.04.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
6. उपरोक्त संशोधन निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।
7. इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/- 15/2/16
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–11/एम0(विविध)–12/15–137(11) /पटना, दिनांक– 15/02/2016

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 15/2/16
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–11/एम0(विविध)–12/15–137(11)/पटना, दिनांक– 15/02/2016

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 15/2/16
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—11 / एम0(विविध)—12 / 15—...137....(11) / पटना, दिनांक— 15/02/2016
प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 15/2/16
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—11 / एम0(विविध)—12 / 15—...137.......(11) / पटना, दिनांक— 15/02/2016
प्रतिलिपिः— निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति / सभी सचिव / प्रधान सचिव / सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 15/2/16
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—11 / एम0(विविध)—12 / 15—....137...(11) / पटना, दिनांक— 15/02/2016
प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी सिविल सर्जन / सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 15/2/16
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना